कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक /बजट/2501/2017–18/20602 भोपाल,दिनांक 1/8/17

प्रति,

संभागीय उपायुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

विषय :– मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2225 योजना क्रमांक 2501 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण मदान्तर्गत आवंटन वर्ष 2017–18।.

–0–

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु बजट राशि रूपये **200,000/-(शब्दों में रूपये दो लाख)** मात्र का आवंटन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के शिष्यवृत्ति भुगतान लिये प्रदत्त किया जाता है। जिसका व्यय निम्न शीर्ष से विकलनीय होगाः–

"मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण (02) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2501 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण 002 प्रशिक्षण "

2. मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग–1 के उपनियम 284 का पालन किया जावें तथा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासन के आदेशों का पालन किया जावें।

3. आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें। राशि के लेप्स होने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी ।

4. उक्त आवंटन तकनीकि प्रशिक्षण शाखा की नस्ती क्रं./तक. प्रशि./233/2016–17/के नोटशीट पृ.कं. 81 से 82 पर आयुक्त महोदय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 27.07.2017 के अनुक्रम में जारी किया गया है ।

5. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राशि का उपयोग कर, उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करावें।

6. योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये व्यय सुनिश्चित किया जाए। आवंटन से अधिक व्यय का उत्तर दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

7. राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा न की जावें । समस्त ई.पेमेन्ट किया जावे ।

8. माहवार व्यय की समीक्षा किया करे तथा व्यय का लेखा प्रत्येक शीर्ष योजनान्तर्गत संधारित कियाजावे। व्यय के मासिक पत्रक मय ट्रेजरी व्हाउचर नम्बर के आगामी माह की 10 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

(स्वाती त्रिपाठी)
सयुक्त संचालक(वित्त)
आदिवासी विकास म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक/बजट/2501/2016–17/20603 भोपाल,दिनांक 1/8/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।

4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, आयुक्त आदिवासी विकास के फोल्डर हेतु ।
7. कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास की तकनीकि प्रशिक्षण शाखा की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय बजट शाखा की ओर आवंटित राशि सर्वर में प्रविष्ट करने एवं पत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
आदिवासी विकास म0प्र0